



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 8, 2013/चैत्र 18, 1935

No. 165]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 8, 2013/CHAITRA 18, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2013

**सा.का.नि. 206(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमा सुरक्षा बल, योद्धक सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, योद्धक सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. चिकित्सक दृष्टया योग्यता:— इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह गृह मंत्रालय या बल द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग, "शेप-1" को पूरा नहीं करता है।

6. अन्य देणीय की अपात्रता:— इन नियमों के अन्तर्गत वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है को सिवाय ऐसे मामले में जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में सहमति दी गई हो, नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह कि इन नियमों की कोई बात नेपाल और भूटान के नागरिक की नियमों के अधीन उसकी नियुक्ति, नामांकन या नियोजन को प्रतिबन्धित नहीं करेगी।

7. अधिवर्षिता :—

(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित आयु प्राप्त करता है, अन्तिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा :

परन्तु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवा विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा।

8. शिथिल करने की भाक्ति :— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. व्यावृत्ति:— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।



## अनुसूची

पद नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक)	189* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (योधक अनुसचिवीय)	वेतन बैंड 1, 5200-20200- रुपए + ग्रेड वेतन 2800 रुपए

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं															
(5)	(6)	(7)															
लागू नहीं होता	<p>18 से 25 वर्ष के बीच (ऊपरी आयु सीमा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष तक शिथिलनीय है। ऊपरी आयु सीमा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए भी शिथिलनीय है। सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष होगी।)</p> <p><b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.07.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या. एबी/14017/70/87-स्थापना (आरआर) के अनुसार होगी अर्थात् यदि प्रतियोगी या लिखित परीक्षा वर्ष के पूर्वार्ध में आयोजित की जाती है तो उस वर्ष के जनवरी माह का पहला दिन और यदि प्रतियोगी या लिखित परीक्षा वर्ष के उत्तरार्ध में आयोजित की जाती है तो उस वर्ष के अगस्त माह का पहला दिन।</p>	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट या सीनियर सेकण्डरी स्कूल(10+2) प्रमाण-पत्र या समतुल्य;</p> <p>(ii) <b>कम्प्यूटर पर दक्षता परीक्षण मानक:-</b> डिक्टेशन: 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट। प्रतिलेखन (ट्रांसक्रिप्शन) समय : कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 50 मिनट और हिंदी में 65 मिनट।</p> <p>(iii) शारीरिक मानदंड : ऊँचाई :  <table border="0"> <tr> <td></td> <td>पुरुष</td> <td>स्त्री</td> </tr> <tr> <td>अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित के लिए शिथिलनीय</td> <td>165 से.मी</td> <td>155 से.मी</td> </tr> <tr> <td>अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए</td> <td>162.5 से.मी</td> <td>150 से.मी</td> </tr> </table> <p>(गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा प्रवर्ग के अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और जम्मू व कश्मीर के लेह व लद्दाख क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए)  अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए  <table border="0"> <tr> <td></td> <td>सामान्य</td> <td>अनुसूचित जनजाति</td> </tr> <tr> <td>सीना : (महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं ) बिना फुलाए फुलाने पर</td> <td>77 से.मी. 82 से.मी.</td> <td>76 से.मी. 81 से.मी.</td> </tr> </table> <p>वजन : चिकित्सा मानक के अनुसार ऊँचाई और उम्र के अनुपात में (पुरुषों और महिलाओं के लिए)</p> <p>(iv) चिकित्सा मानक (क) दृष्टि - दूर की दृष्टि न्यूनतम बिना सुधार किए हुए अर्थात् बिना चश्मा पहने एक आंख में 6/6 और दूसरे में 6/9 होनी चाहिए। (ख) अभ्यर्थियों के मिले हुए घुटने, सपाट तलवे, स्फीत शिरा या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और ऊंचे दर्जे की रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छी शारीरिक व मानसिक स्थिति में होना चाहिए और कोई भी ऐसी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे सक्षमतापूर्वक कार्य संपादन में बाधा पड़ने की संभावना हो।</p> </p></p>		पुरुष	स्त्री	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित के लिए शिथिलनीय	165 से.मी	155 से.मी	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	162.5 से.मी	150 से.मी		सामान्य	अनुसूचित जनजाति	सीना : (महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं ) बिना फुलाए फुलाने पर	77 से.मी. 82 से.मी.	76 से.मी. 81 से.मी.
	पुरुष	स्त्री															
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित के लिए शिथिलनीय	165 से.मी	155 से.मी															
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	162.5 से.मी	150 से.मी															
	सामान्य	अनुसूचित जनजाति															
सीना : (महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं ) बिना फुलाए फुलाने पर	77 से.मी. 82 से.मी.	76 से.मी. 81 से.मी.															

